संख्या-36/2019/106/26-3-2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी 2019

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कम्प्यूटरीकरण योजना कें मानक मद-02 मजदूरी में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1870/03/स0क0/लेखा-बजट/विभागीय कम्प्यूटरीकरण/2018-19, दिनांक-04.01.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-09-समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण-00-02-मजदूरी मद में **धनराशि रू0-20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र)** को अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-793-अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता-03-मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था-00-01-वेतन मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30 मार्च 2018 (यथा संशोधित) तथा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 का शासनादेश दिनांक-01 सितम्बर, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या- 80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-09-समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण -00-02-मजदूरी मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0संख्या-36/2019/106(1)/26-3-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80–मुख्यालय अधिष्ठान (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2018–19 (रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2225–01–793–03–00–01 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–793–अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता–03–मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था–00–01–वेतन	5809.340	496.360	40.290	20.00	5789.34
योग	**5809.340**	**496.360**	**40.290**	**20.00**	**5789.34**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याषित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2235–02–200–09–00–02 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–200–अन्य कार्यक्रम–09–समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण–00 02–मजदूरी	200.00	240.290	40.290	20.00	220.00
योग	**200.00**	**240.290**	**40.290**	**20.00**	**220.00**

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों से बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:– योजना/अधिष्ठान के कियान्वयन किये जाने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–311/दस–2019 दिनांक 29 जनवरी,, 2019

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0, इलाहाबाद।

(रवि शंकर मिश्र)

अनु सचिव

समाज कल्याण विभाग।

शंकेश्वर त्रिपाठी

विशेष सचिव

वित्त विभाग।

ह0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0सख्या- 36 /2019/108(1)/20 3 2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।